मिसल..... .....उनवान.....

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

फर्द अहकाम

6 10/23 पत्रावली पेश हुई। वकीलान

[illegible] अधिकारी...

.....

दिनांक 2-11-23 को पेश हो।

2 11/23 अनुपस्थित उपखण्ड/परिवीक्षाधीन अधिकारी — इलाके मार्च में — पत्रावली। अगलुगत दिनांक ..... को पेश हो।

22-2-24

पत्रावली पेश हुई। वादीगण व वादी का वकील उप० नहीं। प्रकरण में वादीगण व वादीगण वकील की बार-बार आवाज दिलवाने के बावजूद उप० नहीं। प्रकरण दि० 12-1-11 से निरस्त वादी के विचाराधीन चल रहा है। ~~[illegible]~~ जाहिर होता है कि वादीगण व वादीगण वकील प्रकरण आगे चलाने के इच्छुक नहीं है रहे हैं। अतः मु० न० 59/07 धारा निरोध अधिनियम राजस्व वसूली प्रकरण खारिज व प्रकरण दैवी के खारिज किया जाता है। पत्रावली कैंसल कर बस्ते में रखी जावे।

22/2/24

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)